न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00059

1. हरिशंकर आत्मज गजानन्द जाति मीणा निवासी बालोद तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. रामचन्द्र आत्मज गजानन्द जाति मीणा निवासी बालोद तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

।———अपीलान्ट

बनाम

1. भैरूलाल आत्मज हरिशंकर आत्मज गजानन्द जाति मीणा निवासी बालोद तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजेन्द्र आत्मज गजानन्द जाति मीणा निवासी बालोद तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. जानकी बाई पुत्री गजानन्द जाति मीणा निवासी बालोद तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. सीताबाई बेवा गजानन्द जाति मीणा निवासी बालोद तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

उपस्थित :– 1, श्री महावीर गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद हक घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बालोद तहसील के0 पाटन में कुल 07 किता की रकबा 3.76 हैक्टर भूमि स्थित है । इसी प्रकार खाता संख्या 69 में कुल 06 किता की

रकबा 8.06 हैक्टर वाके ग्राम बालोद में स्थित है । उक्त भूमियॉ पक्षकारान की पैतृक भूमियॉ हैं । उक्त भूमि के मूल पुरूष बरधा थे उनकी मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र श्री किशन व गंगाराम हुए । श्रीकिशन लाऔलाद फौत हो गया इसके उपरान्त श्री किशन के कोई जायज वारिस न होने के कारण उसके बडे भाई गंगाराम के एक लडका था गजानन्द जो दोनों भाईयों का जायज वारिस होने की वजह से दोनों की सम्पूर्ण भूमियों का एकमात्र कानूनी वारिस होने से खातेदार काश्तकार हो गया । गजानन्द की मृत्यु हो चुकी है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण संभाग से 1/6 – 1/6 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । प्रतिवादी कम 01 भैरूलाल को श्री किशन जी ने न तो गोद लिया न ही भैरू लाल श्रीकिशन जी का गोद पुत्र है । भैरूलाल भी गजानन्द का ही पुत्र है । प्रतिवादी कम 01 ने खाता संख्या 69 की भूमियॉ जो स्वर्गीय श्री किशन जी के खाते में थी को छल पूर्वक राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके अवैध रूप से अपने नाम खाते लगवा लिया जिसे दुरूस्त करवाने का वादीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगणको 1/6 – 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया तथा वादीगण को प्राप्त होने वाली भूमि में पुख्ता मेडबन्धी कर कब्जा संभलाया जावे और उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण को उनके हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमियों पर उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखल व मजाहमत नहीं करें, किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.01.2019 के द्वारा वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए खाता संख्या 70 में पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने की प्रारम्भिक डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2019 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि को पैतृक नहीं मानकर कानूनी त्रुटि की है जबकि उक्त भूमि मूल पुरूष बरधा के उत्तराधिकारी श्रीकिशन व गंगाराम की थी । वादीगण ने अपने वाद को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2019 निरस्त फरमया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 70 कुल 07 किता की 3.76 हैक्टर व

खाता संख्या 69 की कुल 06 किता की 8.06 हैक्टर वाके ग्राम बालोद तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में स्थित है । वादग्रस्त आराजी वादी और प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है । बरधा मूल पुरूष हुए उनकी मृत्यु के बाद उनके 02 पुत्र हुए श्री किशन एवं गंगाराम । श्रीकिशन लाऔलाद फौत हो गये हैं । गंगाराम के एक लडका गजानन्द था जो दोनों भाईयों का विधिक वारिस होने के कारण वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक बन गया । गजानन्द की मृत्यु हो चुकी है । वादग्रस्त आराजी में समस्त सहखातेदारों का 1/6 – 1/6 विद्यमान है । पत्रावली पर जमाबन्दी की नकलें पेश की गई हैं उनके अनुसार खाता नम्बर 70 के विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री तो परीक्षण न्यायालय ने पारित की है परन्तु खाता संख्या 69 के बाबत् डिक्री पारित नहीं की गई है जबकि खाता संख्या 69 की आराजी भी पैतृक है और श्रीकिशन के वारिस गजानन्द थे । पक्षकारान गजानन्द के वारिस हैं और वे इस आराजी में भी हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि श्रीकिशन के खाते में जो आराजी दर्ज थी वो भैरूलाल के उनके गोदपुत्र होने के कारण नामान्तरकरण संख्या 30 से भैरूलाल के खाते में दर्ज हुई है । यह सम्पत्ति पैतृक नहीं है वरन् भैरूलाल की सम्पत्ति है जिसका अपीलान्टगण विभाजन कराने के अधिकारी नहीं हैं । भैरूलाल ने इस कारण खाता संख्या 70 की आराजी में अपने हिस्से को रिलीज कर दिया । वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 69 के बाबत् भैरूलाल ने धारा 144 का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया जिसके आधार पर यह आराजी रेस्पोडेन्ट भैरूलाल के खाते में दर्ज हुई है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2019 बहाल रखा जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

10. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नामान्तरकरण संख्या 30 की प्रमाणित प्रति, नामान्तरकरण रजिस्टर प्रविष्टि संख्या 249 की प्रमाणित प्रति, नामान्तरकरण संख्या 467 की प्रमाणित प्रति और उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन के निर्णय दिनांक 24.01.2011 की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की गई हैं । उक्त दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ एवं न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । उक्त दस्तावेजात प्रकरण से प्रासंगिक हैं । अतः न्यायहित में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई और अपीलाधीन निर्णय से दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर खाता संख्या 70 के बाबत् विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । अपीलान्टगण का यह कथन है कि खाता संख्या 69 की आराजी भी पैतृक है । इस कम में नामान्तरकरण संख्या 42 की प्रति पत्रावली में संलग्न है जिसके अनुसार श्रीकिशन की मृत्यु हो जाने पर गजानन्द को उनका गोदपुत्र बताते हुए वादग्रस्त आराजी गजानन्द के खाते में दर्ज करने के आदेश दिनांक 20.12.1961 हुए

हैं परन्तु एक नामान्तरकरण संख्या 30 की प्रति रेस्पोडेन्ट ने अपील में पेश की है जिसके अनुसार श्रीकिशन का गोदपुत्र भैरूलाल को बताया गया है । यह नामान्तरकरण सन् 1975 में खोला किया है । इन दोनों में जमाबन्दी की संख्या, खसरा नम्बर और रकबे का मिलान नहीं हो रहा है । इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए और जवाब के साथ अपील में पेश किये गये दस्तावेजात की प्रतियॉ पेश करवाकर नये सिरे से दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 01.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15.9.2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा